धारा 81 : कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना

जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात्, उससे संबंधित या उसके कब्जे में की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उसका विक्रय करके बंधक रखकर, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे, जो भी हो, अपनी किसी संपत्ति से किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से विलग होता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के संबंध में किसी दावे के विरूद्ध शून्य होगा :

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण शून्य नहीं होगा, यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक और इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने की किसी सूचना के बिना या उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय ऐसे अन्य कर या अन्य रकम की सूचना के बिना कर या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाता है।